COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(53)

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

न्यायालय :– राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रक. /2007निगरानी

निग० 1906-I/07

रामदुलारे पुत्र मंगल निवासी ग्राम बुढगौना तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

........आवेदक

बनाम

1. भगवानदीन पुत्र देमान
2. नर्मदा प्रसाद पुत्र मंगल
   निवासीगण ग्राम बुढगौना तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

.........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र. के प्रक. 594/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 23–10–07 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

(SPD 7.12.07)

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के तथ्य :–

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम बुढगौना की भूमि सर्वे क. 1132, 1133, 1134, 1213, 1214, 1215, 1216 आवेदक एवं अनावेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। अनावेदकगण द्वारा तह. न्यायालय के समक्ष बॅटवारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विधिवंत उद्घोषणा जारी नहीं की गई, फर्द का प्रकाशन नहीं कराया गया, व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई। आवेदक रामदुलारे द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पुल्ली पर आपत्ति लगाई गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति पर विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 4–12–06 को बॅटवारा आदेश पारित किया गया।

यह कि, उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी चुरहत के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसका प्रक.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1906-I/07 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/12/16	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बुढगौना स्थित प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा किया गया। जिसके संबंध में इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के मध्य बराबर-बराबर भाग पर 1/3-1/3 हिस्सा प्रदान कर बटवारा आदेश पारित किया गया है। जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाया है। विधि की मंशा के अनुरूप समान भाग पर किये गये बटवारे में किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 23-10-07 स्थिर रखा जाता है। अभिलेख वापस भेजा जाये। पश्चात् सूचित हो प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.